प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बलिया

सेवा में,

सलाहकार (न्यायिक),
मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
प्रमुख बेंच, नई दिल्ली

संख्याः 1628 /आ0ले0जि0–एन0जी0टी0 दिनांकः जुलाई 25 ,2023

विषयः **मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्याः 405/2023 धमेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली के समक्ष योजित ओ0ए0 संख्याः 405/2023 धमेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक आख्या दो माह के भीतर उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया से तथ्यात्मक आख्या प्राप्त की गयी। प्रभागीय निदेशक, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी के पत्र संख्याः 312/31/2023–24 दिनांक 19.07.2023 एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया के पत्र संख्याः 414/न0पा0परि0बलिया/2023–24 दिनांक 17.07.2023 द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी तथ्यात्मक आख्या के आधार मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यात्मक आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि कृपया तथ्यात्मक आख्या मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली के समझ योजित ओ0ए0 संख्याः 405/2023 धमेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकःउपर्युक्तानुसार।

25/7/23

(रवीन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी,
बलिया

समक्ष मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली

ओ0ए0 संख्याः 405/2023

धमेन्द्र कुमार सिंह

बनाम

स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रमुख बेंच नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्याः 405/2023 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया से तथ्यात्मक आख्या प्राप्त की गयी। प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा अपने पत्र संख्याः 312/31/2023–24 दिनांक 19.07.2023 द्वारा निम्नानुसार तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध करायी गयी हैः–

1. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम–1972 (यथा संशोधित) की धारा–18 की उपधारा–1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचना संख्याः 1088(1)/14–3–19/89, वन अनुभाग–3 दिननांक 27.03.1991 द्वारा वन्य जीवों और उनके पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणीजात, वनस्पतीय भू–आकृतिक, प्राकृतिक और प्राणीतत्व महत्व को पाते हुए बलिया जिले के अन्तर्गत "सुरहाताल पंक्षी विहार" घोषित किया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल 3432.93 हे0 (34.3293 वर्ग कि0मी0) था। पुनः उत्तर प्रदेश वन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्याः 2854/चौदह–4–2002–874/2002 दिनांक 10.12.2002 द्वारा महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा सुरहाताल पक्षी विहार का नाम परिवर्तित कर "जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार" कर दिया गया।
2. जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों का क्षेत्रफलवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार		कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
	निजी भूमि (हेक्टेयर में)	ग्राम समाज की भूमि (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4
सोनपुर कला	46.00	0.87	46.87
सोनपुर खुर्द	41.00	0.55	41.55
डुमरी	176.22	0.80	177.02
सरयाँ	4.07	–	4.07
घघरौली	20.07	0.80	20.87
परसपुर	32.46	3.47	35.93
भेदपुर	16.46	0.45	16.91
भीखपुर	11.36	0.45	16.91
बासदेवपुर	–	7.89	7.89

श्रीपुर	–	6.51	6.51
सलेमपुर	78.32	0.40	78.72
वसन्तपुर एहतमाली	692.59	10.00	702.59
वसन्तपुर मुस्तकम	44.29	–	44.29
ताल सुरहा	1006.37	81.50	1087.87
बसन्तपुर	17.78	0.02	17.80
चवरीकरन	39.40	–	39.40
गल्हया	99.30	–	99.30
चवरी	75.63	–	75.63
बभनौली	15.41	0.78	16.19
फुलवरिया	21.31	–	21.31
बिन्दवलिया	104.41	0.03	104.44
ढेलिया	153.44	–	153.44
शिवपुर	12.14	–	12.14
सूर्यपुर	14.03	0.13	14.16
अख्तियारपुर	16.76	1.48	18.24
कैथवली	30.05	2.69	32.74
सिधौली	6.07	–	6.07
माधौपुर	8.05	0.04	8.09
जजियापुर	15.28	1.21	16.49
गडारी पाह	50.43	1.69	52.12
मैरीटार	14.17	–	14.17
ओझवलिया	70.04	3.75	73.79
फाफर	42.23	2.43	44.66
सिरमौर	34.95	0.47	35.42
अनकटपुर	38.72	–	38.72
राजपुर	12.61	–	12.61
औंधी	30.94	–	30.94
बड़सरी	32.75	0.32	33.07
नरायनपर	7.75	0.20	7.95
हथिवदा	15.66	1.82	17.48
गजियापुर	17.48	–	17.48
कोल डुमरिया	48.39	–	48.39
कोल खुर्द	43.47	2.48	45.95
साहोडीह	42.29	–	42.29
कुल योग	**3300.15**	**132.70**	**3432.93**

3. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) की धारा–21 के अन्तर्गत जिलाधिकारी बलिया द्वारा अपने पत्रांक 10/काशी प्र0/15–1/टी0सी0 दिनांक 18.12.2006 द्वारा जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमा के अन्तर्गत फैले क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों को अपने अधिकार एवं स्वत्व की प्रवृत्ति हेतु दावे प्रस्तुत करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी। पुनः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 1677/दो–3–2018–2016–19/3(51)/2006 दिनांक 29.08.2016 के आदेश के क्रम में

जिलाधिकारी बलिया द्वारा पत्रांक 5573/रा0सहा0 दिनांक 20.03.2018 द्वारा उप जिलाधिकारी, बांसडीह, बलिया को वन बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया। वर्तमान में बन्दोबस्त की कार्यवाही चल रही है। बन्दोबस्त की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) की धारा 26ए के अन्तर्गत अधिसूचना जारी किये जाने की कार्यवाही वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा की जानी है। जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमा स्पष्ट नहीं होने के कारण कार्यालय पत्रांक 1945/(कार्यवृत्त) दिनांक 04.01.2021 द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग की एक टीम का गठन जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के सर्वे सीमांकन हेतु किया गया है। वर्तमान में टीम द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/उप जिलाधिकारी, बांसडीह को जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमा का निर्धारण करने हेतु सर्वे का कार्य करके अपनी आख्या वन बन्दोबस्त अधिकारी/उप जिलाधिकारी, बांसडीह को देने की प्रकिया चल रही है।

4. मौजा बसन्तपुर एहतमाली, परगना व तहसील बलिया में जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पंक्षी विहार की सीमा के अन्दर बिना सक्षम स्तर की अनुमति से कूड़ा निस्तारण केन्द्र बना हुआ है, जिसके विरूद्ध श्री उमेश सिंह, वन रक्षक प्रभारी, जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार कछुवा पुनर्वास केन्द्र, सारनाथ, वाराणसी द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया तथा ठेकेदार अविनाश सिंह के विरूद्ध वन अपराध संख्याः 02/2022–23 दिनांक 27.03.2023 इजरा किया गया। उक्त वन अपराध में उल्लिखित है कि "महोदय, निवेदन है कि जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमा का निर्धारण पूर्व में स्पष्ट न होने के कारण लगभग 15 वर्ष पूर्व में निर्मित कूड़ा निस्तारण केन्द्र के शेड हाउस एवं बाउण्ड्री की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी। आज दिनांक 27.03.2023 को लगभग 12.00 बजे दिन में मौजा बसन्तपुर एहतमाली के अन्तर्गत गाटा संख्याः 481, 482, 580/1, 581 कुल चार गाटे रकबा 4.98 एकड़ में स्थापित है। कूड़ा निस्तारण केन्द्र जो सैंक्चुअरी सीमा के निर्धारण एवं जॉच के दौरान ज्ञात हुआ कि पूर्व में निर्मित कूड़ा निस्तारण केन्द्र जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमा के अन्दर है। वर्तमान समय में कूड़ा निस्तारण केन्द्र को चलाने हेतु मशीनरी आदि लगाया जा रहा है। सैंक्चुअरी क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) की धारा–27, 29 व 32 का उल्लंघन किया गया है। मौके पर पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि उपरोक्त मशीनरी आदि कार्य अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया तथा ठेकेदार अविनाश सिंह, ग्राम दह मुड़ियारी, जनपद बलिया के देख–रेख

में करवाया जा रहा है। मौके पर कार्य को रोक दिया गया है। अतः उपरोक्त सूचना रिपोर्ट महोदय जी की सेवा में अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।"

5. उक्त वन अपराध की जॉच उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकिया, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी/परियोजना अधिकारी, कछुआ पुनर्वास केन्द्र, सारनाथ, वाराणसी द्वारा की जा रही है। उप प्रभागीय वनाधिकारी चकिया/परियोजना अधिकारी, कछुआ पुनर्वास केन्द्र, सारनाथ, वाराणसी द्वारा पत्रांक 09 दिनांक 19.07.2023 द्वारा प्रेषित जॉच आख्या तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी कछुआ पुनर्वास केन्द्र सारनाथ वाराणसी, जिनके प्रभार में जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पंक्षी विहार बलिया भी आता है, के द्वारा अवगत कराया गया है कि कूड़ा निस्तारण केन्द्र, बसन्तपुर एहतमाली पूर्ण रूपेण बन्द है।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया द्वारा अपने पत्र संख्याः 414/न0पा0प0बलिया/2023–24 दिनांक 17.07.2023 द्वारा निम्नानुसार तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध करायी गयी है:–

1. यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन) के लिए प्लाण्ट स्थापना हेतु धनांक रूपया 681.00 लाख की परियोजना शासन से स्वीकृत है।
2. प्लाण्ट अधिष्ठापन हेतु कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, यूनिट–3, आजमगढ़ द्वारा मे0 ए0टू0जेड0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा प्रथम पक्ष के रूप में कार्य कराया जा रहा था। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पार्टी के रूप में एकार्ड हाईड्रोएयर प्राईवेट लिमिटेड, लखनऊ को प्लाण्ट निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के उद्देश्य से अधिकृत किया गया।
3. प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य विवाद हो जाने के कारण विगत 09 वर्षों से प्लाण्ट अधिष्ठापन व उससे सम्बन्धित कार्य बन्द था।
4. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट प्लाण्ट की स्थापना में लगे प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के मध्य फाईनल आर्बिटल एवार्ड 21.12.2019 को हुआ। दिनांक 15.03.2023 को प्लाण्ट का कार्य पूर्ण हुआ। उसके एक दिन पूर्व दिनांक 14.03.2023 को अनुबन्धित कम्पनी ए0एफ0सी0 इण्डिया द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को सूचना देते हुए प्लाण्ट को संचालित (Authorisation) करने की मॉग की गयी, जिसके उत्तर में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा यह कहते हुए Authorisation नहीं दिया गया कि In compliance of above Hon'ble NGT order 03.03.2023 The Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi and Incharge of Jai Prakash Narayan Surha Tal Bird Sanctuary, Ballia has informed that the demarcation work of Eco Sensitive Zone area is under progress and expected to be completed within a month, after the completion of work, it will become clear whether the

2

MSW plant fall in the boundary of Eco Sensitive None area or not. Hence at this stage the disposal of authorisation is not possible so application is rejected.

5. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लाण्ट में वर्तमान में कूड़ा निस्तारण कार्य रूका हुआ है।

प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यात्मक आख्या उपर्युक्तानुसार सादर प्रस्तुत है।

25/7/23

(रवीन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी,
बलिया